

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 24, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-93/2010/नौ/सत्रह-1.— सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-6/2015/3-एक, नया रायपुर, दिनांक 05-12-2015 द्वारा “चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया में साक्षात्कार समाप्त किये जाने संबंधी निर्देशों के अनुपालन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्वारा छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

- उक्त नियमों में, —
 - नियम 10 में शब्द “परीक्षा/साक्षात्कार” के स्थान पर शब्द “परीक्षा” प्रतिस्थापित किया जाता है,
 - नियम 11 के उपनियम (02) के खण्ड (दो) में शब्द “साक्षात्कार” के स्थान पर शब्द “मेरिट” प्रतिस्थापित किया जाता है,
 - नियमों में जहां कहीं भी साक्षात्कार शब्द का उपयोग किया गया हो, उसे विलोपित किया जाता है,
- नियमों में उपरोक्त संशोधन दिनांक 01-08-2020 (भूतलक्षी प्रभाव) से प्रवृत्त माने जावेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, विशेष सचिव.